

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल
प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017

III | निगरानी | सीहोर | म०प्र० | 2017 | 2187

01. नारायण आ. श्री शौभाराम आयु 62 वर्ष
02. रामचरण आ. श्री शौभाराम आयु 64 वर्ष
03. रमेश आ. श्री दरियाव सिंह आयु 50 वर्ष
04. प्रभू आ. श्री दरियाव सिंह आयु 54 वर्ष
05. कैलाश आ. श्री दरियाव सिंह आयु 52 वर्ष

सभी निवासी ग्राम सोहनखेड़ा तहसील

इछवर जिला सीहोर म०प्र० ।.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

कमल सिंह आ. श्री दरियाव सिंह आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम सोहनखेड़ा तहसील इछवर जिला
सीहोर म०प्र० ।.....रेस्पॉण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 27/07/2015 प्रकरण क्रमांक 142/अ-12/14-15
(कमल सिंह विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ
न्यायालय तहसीलदार महोदय इछवर जिला सीहोर द्वारा पारित
किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण क्रमांक 142/अ-12/14-15 (कमल सिंह विरुद्ध सर्वसाधारण)
पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय इछवर

— 2

[Handwritten signature]


*हाथ दिनांक 11/7/17
दे श्री - कमल सिंह आ. श्री शौभाराम
आयु 50 वर्ष
पा - 51801
11/7/17
2187*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

R-2187/III/17 खीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-07-18 भोपाल-कैम्प	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । पूर्व में उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं । समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई । अतः आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">  20/7/18 सदस्य </p>	

